पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

धामोद

ग्राम पंचायत - धामोद

तहसील और ब्लॉक - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - धामोद गाँव लगभग 200 साल पुराना है। ऐसा कहते हैं कि गाँव का नामकरण धर्मदास बंरडा के नाम से हुआ। धर्मदास बरंडा वहाँ के मुखिया थे। उनकी पत्नी का नाम मनु था और उनके दो पुत्र तेजा तथा लाला बंरडा थे। तेजा बंरडा पुजारी स्वभाव का तथा लाला बंरडा क्षत्रिय स्वभाव का था। धामोद में एक केदारेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ तेजा केदारेश्वर महादेव की पूजा किया करता था। माता की अंतिम इच्छा थी कि धर्मदास का नाम मृत्यु के बाद भी चले। माँ की इच्छा के अनुसार धर्मदास की मृत्यु के बाद इस गाँव का नाम धामोद रखा गया। गाँव के नामकरण के विषय में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर घना जंगल था, जिसमें धामणिया के वृक्ष बहुत थे। धामणिया के वृक्ष काटकर वहाँ पर कुछ अहारी और बरंडा आदिवासी परिवार के लोगों ने झोपड़ी बनाई और जमीन पर कब्जा कर खेती शुरू की। धामणिया के पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ी से झोपड़ी बनाने के साथ ही यह गाँव बसाया था, इसलिए गाँव का नाम धामोद पड़ा।

गाँव का परिचय - धामोद गाँव जिला मुख्यालय डूंगरपुर से लगभग 32 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में तहसील मुख्यालय बिछीवाड़ा के पास बसा हुआ है। धामोद बिछीवाड़ा से करीब एक किलोमीटर दूर है। गाँव में कुल घरों की संख्या लगभग 800 और आबादी करीब 4000 है। गाँव चार से पाँच किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। धामोद गाँव में दस फले हैं - घोंघा फला, घणा दरा फला, हुकी महुड़ी फला, कंजरी फला, तलावड़ी फला, रोड़ा फला, सड़ा हगड़ा फला, डामोर फला, अहारी फला और रोत फला। गाँव में आदिवासियों में रोत, डामोर, होता, भेणात, भगोरा, तबियाड़, गमेती, तराल, अहारी, धमलात, खराड़ी, ननोमा, बलोड़ा, घोड़ा, कटारा और डूहा आदि उपजातियों के लोग रहते हैं। आदिवासियों के साथ ही सामान्य वर्ग में राजपूत जाति के और अनुसूचित जाति में यादव तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में पटेल, कलाल और रावल जाति के लोग रहते हैं। गाँव के बीच में से उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे लाइन गुजरती है। गाँव में गाँव सभा का गठन सन 2004 में हो गया था। शुरुआत में पेसा कानून के बारे में लोग जागरूक रहे। आपस में चर्चा की लेकिन धीरे-धीरे गाँव में पेसा कानून संबंधी चर्चा शिथिल होती गई और गाँव सभा निष्क्रिय हो गई। वागड़ मजदूर किसान संगठन द्वारा पेसा कानून की शक्तियों के बारे में जागरूकता लाने के लिए किये गये प्रयासों से पिछले कुछ समय से वापस गाँव सभा मजबूत हुई है। लोगों को और जागरूक करने के लिए अभी भी प्रयास जारी है। गाँव के आधे से अधिक घरों में बिजली नहीं है। गाँव का पोस्ट ऑफिस गाँव में ही है। गाँव का निकटतम बाजार बिछीवाड़ा में है। लोग रोजमर्रा की खरीददारी बिछीवाड़ा से करते हैं। कहीं जाने-आने के लिए आवागमन के साधन भी उन्हें बिछीवाड़ा से ही मिलते हैं। गाँव की अधिकांश जमीन टेकरी वाली, ऊबड़-खाबड़ और असमतल है। कुछ जमीन समतल भी है। लोग टेकरियों पर ही रहते हैं। खेती में लोग धान, गेहूँ, मक्का और उड़द की फसल उगाते हैं। लेकिन ऊबड़-खाबड़ जमीन और सिंचाई के साधनों की कमी तथा उर्वरता कम होने से 2-5 महीने खाने भर का अनाज ही पैदा हो पाता है। परिवार का भरण-पोषण करने के लिए लोग खेती के अलावा मजदूरी करते हैं। मनरेगा में 60-70 दिन काम मिलता है और 80-85 रु. मज़दूरी मिलती है। अकेले मनरेगा से रोजी-रोटी चलाना मुश्किल है इसलिए लोग खुली मजदूरी और अन्य व्यवसाय भी करते हैं। गाँव के जंगल पर वन विभाग का अधिकार है। लघुवन उपज में तेंदुपत्ता लाते हैं, जिसे तोड़ने पर 100 गड्डी की 80 रु. मज़दूरी मिलती है। सरकारी राशन की दूकान बिछीवाड़ा में है। गाँव के 200 परिवारों को उज्जवला गैस कनेक्शन मिला है। एक वर्ष से पूरे गाँव का मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया है। बिजली नहीं होने पर लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ती है। गाँव में

शिक्षा की व्यवस्था भी चरमरा रही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त अध्यापक नहीं हैं। साथ ही बच्चों के बैठने के लिए कमरे भी कम हैं। जो कमरे हैं, उनकी छत से बरसात में पानी टपकता है। शिक्षकों की कमी के कारण ज्यादातर बच्चे अशिक्षित हैं और कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ कर बालश्रम में लग जाते हैं। गाँव में इलाज के लिए एक उप-स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसके भवन की हालत बहुत जर्जर है। गाँव में पेड़ों वाली माता, कुवेड़ी माता, जोगमाया मंदिर और अंबा माता का धार्मिक स्थल है। गाँव में करीब 4 साल पहले मौताणा का एक प्रकरण हुआ था, जिसमें बिजुड़ा गाँव का एक आदमी धामोद कुएं में डूब कर मर गया था। मृत व्यक्ति के परिजनों ने मौताणा की राशि कुँए के मालिक से ली थी। तब उसका दाह संस्कार किया था। धीरे-धीरे जागरूक होने से अब मौताणा के प्रकरण गाँव में देखने को नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार पुरानी परंपराओं में डायन प्रथा गाँव में थी। लगभग 4 वर्ष पहले गाँव की एक औरत को गाँव वालों ने डायन बताया था और उसे प्रताड़ित करते थे। उसके हाथ की दी हुई कोई भी चीज खाना या उससे मिलना-जुलना बंद था। गाँव के लोग उससे डरते थे। एक प्रकार से उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। कुछ समय बाद उसकी अपने आप मृत्यु हो गई। लगभग 4 वर्ष पूर्व हुए इस डायन प्रथा के प्रकरण के बाद गाँव में कोई डायन प्रथा का प्रकरण सुनने में नहीं आया है।

आवागमन की स्थिति - जिला मुख्यालय डूंगरपुर से धामोद गाँव जाने हेतु पक्की सड़क की सुविधा है। सड़क की स्थिति बिछीवाड़ा तक ठीक है। गाँव तक जाने के लिए डूंगरपुर से बिछीवाड़ा तक बस या जीप मिल जाती है, जो बिछीवाड़ा हाई-वे तक छोड़ती है। धामोद गाँव का एक फला हाई-वे के एकदम पास ही बसा हुआ है। गाँव के अन्य फले वहाँ से सात किलोमीटर दूर तक बसे हुए है। फलों तक जाने के लिए बिछीवाड़ा हाई-वे से ऑटो मिलते हैं। जब तक ऑटो में सवारियाँ नहीं भर जाती, तब तक ऑटो नहीं चलते हैं। गाँव में जाने वाली सड़क टूटी-फूटी है। ऑटो मुख्य सड़क पर उतारता है। वहाँ से लोग धामोद के फलों में 2 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों तक पहुँचते हैं। जिन लोगों के पास अपने निजी साधन हैं, उन्हें आवागमन में परेशानी नहीं होती। जिनके पास अपना कोई निजी साधन नहीं है, उनको पैदल आने-जाने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गाँववासियों को ऊँचे-नीचे पहाड़ी रास्ते होने के कारण पैदल चलना ही बेहतर विकल्प लगता है। बरसात में गाँव के फलों में नीचे के रास्ते पानी और कीचड़ से भर जाते हैं। सबसे ज्यादा असुविधाजनक स्थिति बीमारों को लाने और ले जाने में होती है। आवागमन के साधन गाँव के सभी फलों तक नहीं होने से गाँव वालों को लगभग 2-5 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक बीमारों को लाना पड़ता है। तब कहीं जाकर साधन मिलता है। 108 एम्बुलेंस भी मुख्य सड़क तक ही आ पाती है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति - गाँव में चार प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें प्रत्येक विद्यालय में दो-दो अध्यापक हैं। प्राथमिक विद्यालय घोंघा फला, प्राथमिक विद्यालय सुखी महूड़ी, प्राथमिक विद्यालय रोत फला (जो हाईवे से लगभग 5 किलोमीटर दूर है) और प्राथमिक विद्यालय घणा दरा फला। गाँव में कक्षा नौवीं से दसवीं तक पढ़ने के लिए एक माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें 300 विद्यार्थियों को मात्र 7 शिक्षक पढ़ाते हैं। कक्षा 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए बिछीवाड़ा जाना पड़ता है और स्नातक के लिए बिछीवाड़ा या डूंगरपुर जाते हैं। अध्यापकों की कमी और कमरे की कमी के कारण शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि बच्चों को अपनी

कक्षास्तर का ज्ञान नहीं है। जिसके कारण उनको आगे पढ़ाई जारी रख पाना संभव नहीं हो पा रहा है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वह भी आने-जाने के साधन के अभाव और आर्थिक तंगी से आगे की शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं और जीविका की तलाश में यहाँ-वहाँ भटकते रहते हैं। शिक्षा के प्रति गाँव में बढ़ती जागरूकता के कारण अब बच्चे ड्रॉपआउट कम होते हैं और बालश्रम भी कम हो गया है। लगभग चार वर्ष पूर्व विद्यालय में होने वाले नामांकन के लगभग आधे बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ कर बालश्रम में लग जाते थे। जिसमें वह मुख्य रूप से बी.टी. कपास का काम करते थे, जो 2 से 3 महीने चलता है। कुछ बच्चे छोटे होटलों में अथवा किसी फैक्ट्री आदि में भी काम में लग जाते थे। अब भी इस प्रकार विद्यालय छोड़ कर बालश्रम करने वाले बच्चे गाँव में है, मगर उनकी संख्या आज से चार-पाँच वर्ष पूर्व की तुलना में कम हुई है। गाँव में पाँच आंगनवाड़ियाँ हैं - घणादरा फला, कुवेड़ी माता, कंजरिया फला, रोत फला और घोंघाफला आंगनवाड़ी। गाँव की पाँच आंगनवाड़ियों में से सिर्फ दो आंगनवाड़ियों का भवन बना हुआ। भवन भी अधूरे ही बने हैं। पीने के पानी और शौचालय की समस्या भी आंगनवाड़ियों में है। आंगनवाड़ियों से मिलने वाले पोषाहार में भ्रष्टाचार तथा लापरवाही होती है। पोषाहार कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जो मिलता है, उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती है। जिसके चलते गाँव के बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। इसका एक कारण गरीबी और घर पर पौष्टिक भोजन का अभाव भी है। गाँव की किशोरी बालिकाएं एवं प्रसूति माताएं भी एनीमिया(खून की कमी) से पीड़ित हैं। कुछ बच्चे जन्म से कुपोषित होते हैं। कुछ बाद में कुपोषित हो जाते हैं।

गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव में पहाड़ियाँ होने से भूमि असमतल, पथरीली और पहाड़ों की ढलान वाली है। समतल जमीन केवल पहाड़ी की तलहटी में ही है। गाँव में जंगल भी है, लेकिन जंगल वन विभाग के कब्जे में है। जब से जंगल वन विभाग के अधिकार में आया है, तब से धीरे-धीरे जंगल उजड़ चुका है। अब वहाँ से गाँव वालों को घास के अलावा कुछ नहीं मिलता है। गाँव की कुछ पहाड़ियों पर लोगों का कब्जा है। उसमें केवल बरसात के समय जो घास उगती है, उसी घास को जानवरों के चारे के रूप में काट कर लाते हैं। खेती की अधिकाँश जमीन असमतल और असिंचित होने के कारण एक ही फसल होती है। जिनके पास सिंचाई के साधन हैं, वे लोग दो फसल ले पाते हैं। गाँव में मुख्य रूप से मक्का, चावल, तुवर, चना, सोयाबीन और गेहूं की फसल होती हैं। गाँव में बहुत सारे हैंडपंप हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा बंद पड़े हैं। धामोद गाँव में भू-जल स्तर इस समय 200 से 250 फीट तक नीचे चला गया है। पानी के बढ़ते संकट के कारण लोग बोरवेल लगाते जा रहे हैं, जिसके कारण जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। गाँव में पहाड़िया होने से नाले भी हैं, लेकिन नालों में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। नालों में आने वाला बरसात का सारा पानी बहकर निकल जाता है। गाँव के सभी हैंडपंप में फ्लोराइड और आयरन युक्त पानी आता है, जिससे लोगों को फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। गाँव में लगभग सैकड़ों कुँए हैं, लेकिन गर्मी में लगभग बीस कुँओं में ही पानी रहता है। बाकी कुएं सूख जाते हैं। गाँव में करीब हर तीसरे घर में निजी ट्यूबवेल है। सिंचाई के लिए लोग मोटर या इंजन लगाते हैं।

गाँव में लगभग सात इंजन डीजल से बाकी बिजली से चलते हैं। गाँव में तीन तालाब हैं - धामोद तलावड़ी; जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। कर्मावाला तालाब; इसमें बरसात के बाद फरवरी-मार्च तक पानी रहता है। उसके बाद यह सूख जाता है। धरोड़ावाला तालाब; यह टूटा-फूटा हुआ है। इसमें बरसात के बाद ठंड तक पानी रहता है। इसके बाद यह सूख जाता है। गाँव में 8 नाले हैं। सभी नाले बरसात के बाद सूख जाते हैं। तीन नाले मुख्य हैं - बावदरा नाला, चकली वाला नाला और बोर वाला नाला। इन तीनों नालों में बरसात के बाद जनवरी-फरवरी तक पानी रहता है। उसके बाद ये तीनों नाले भी सूख जाते है। गाँव के लोग चारा जंगल से लाते हैं। कुछ चारा उन की कब्जे की जमीन पर भी होता है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव में कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है। आदिवासियों के खेत पहले से ही छोटे थे। परिवार में सदस्य संख्या बढ़ने के साथ भाइयों में भूमि का बंटवारा होता चला गया, जिससे खेत और छोटे होते गए। गाँव में जिस भूमि पर कृषि की जाती है, वह ज्यादातर पहाड़ों की ढलानवाली, असमतल और पथरीली है। समतल भूमि मात्र कुछ ही है, जो पहाड़ियों की तलहटी में है। जिनके पास समतल भूमि और सिंचाई का साधन है, वही लोग गेहूं पैदा कर पाते हैं। बाकी लोग बरसात में होने वाली फसल मक्का, उड़द, अरहर आदि पैदा करते हैं। जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था है, वह कपास की खेती भी करते हैं। खेती से लोगों के पास 3 से 6 महीने का खाने भर का अनाज होता है। बाकी समय उनको खरीद कर ही खाना पड़ता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति माह मात्र 5 किलोग्राम गेहूं मिलता है। जिससे उनके परिवार की परवरिश संभव नहीं हो पाती है। गाँव में कृषि के अलावा मजदूरी ही एकमात्र रोजगार का साधन है। नेशनल हाई-वे के निकट होने के कारण गाँव में और आसपास दूसरे गाँवों की तुलना में मजदूरी और रोजगार के साधन सरलता से मिल जाते हैं। लेकिन कौशल प्रशिक्षण के अभाव में गाँव वाले इसका लाभ कम ही उठा पाते हैं। मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोगों का न तो 100 दिन रोजगार मिल पाता है और न ही उनको पूरी मजदूरी ही मिल पाती है। मनरेगा में पूरे वर्ष मात्र 50 से 60 दिन काम मिलता है और मजदूरी मात्र 70 से 80 रु. रोजाना ही मिलती है। मनरेगा में काम और मजदूरी नहीं मिलने के कारण गाँव के लोग खुली मजदूरी करते है। शिक्षा के अभाव में दैनिक मजदूरी के अलावा अन्य कोई काम उनको नहीं मिलता है। गाँव में कुछ लोग रिको इण्डस्ट्रियल एरिया में और कुछ लोग अन्य प्रान्त में भी नौकरी करते हैं। गाँव में सरकारी नौकरी में लगभग 40 व्यक्ति हैं, जो शिक्षक, डॉक्टर, पशु चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी, रेलवे कर्मचारी और कुछ केंद्र अथवा राज्य शासन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

क्र	संसाधन	संसाधनो की स्थिती	संभावनाएं
1	**जल -** तालाब कुँए नाले ट्यूबवेल हैंडपंप	गाँव में 3 तालाब हैं। जिसमें से एक तालाब में पानी रहता है। बाकी तालाब बरसात बाद सूखने लगते हैं। जनवरी-फरवरी महीने तक पूरी तरह सूख जाते हैं। गाँव में करीब 200 कुँए हैं, जिसमें मात्र 20 में पानी रहता है। बाकी कुँए सूख जाते है। गाँव के 8 नालों में से तीन मुख्य नाले हैं। वह भी बरसात बाद सूखने लगते हैं और दिसंबर जनवरी तक पूरी तरह सूख जाते हैं। गाँव के लगभग हर तीसरे घर में ट्यूबवेल लगा हुआ है, जिसका प्रयोग पेयजल और सिंचाई के लिए होता हैं। सभी ट्यूबवेल में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। गाँव में हैंडपंप हैं, लेकिन आधे से ज्यादा सूखे पड़े हैं। जिन हैंडपंप में पानी है, उनमें फ्लोराइड और आयरन युक्त पानी आता है। जिससे गाँव के लोगों को फ्लोरोसिस नामक लाइलाज रोग हो जाता है।	वर्षा जल संरक्षण कर जल संकट की समस्या का समाधान करना। जल स्तर बरकरार रखने के लिए तालाब गहरीकरण और उनकी मरम्मत करना। गाँव के कम गहरे कुओं की गहराई बढ़ाना। नालों पर पानी रोकने हेतु एनीकट, चेक डैम अथवा रिंग वाल बनवाना। ट्यूबवेल से पानी निकालने पर गाँव सभा का नियंत्रण। सूखे और मरम्मत योग्य हैंडपंप की मरम्मत करवाना। फ्लोराइड से मुक्ति के लिए आर. ओ. लगाकर जल शुद्धिकरण करना।
2	**जंगल**	जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा है। गाँव के जंगल में वृक्ष बहुत कम बचे हैं। जो बचे हुए वृक्ष हैं, उनमें गेबरा, सागवान, हादेड़ी, गोदला, धावड़िया और टिमरू के कुछ पेड़ शेष है।	जंगल पर सामुदायिक दावा करके जंगल को गाँव सभा के अधीन करना और उसे पुनर्जीवित करना।
3	**जमीन**	धामोद गाँव की जमीन पहाड़ों की ढलान वाली, पथरीली एवं ऊबड़-खाबड़ है। कुछ जमीन समतल भी है। बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं। सूखा पड़ने अथवा अधिक बारिश होने पर वह भी नहीं हो पाती है। गाँव के कुछ लोगों को कब्जे की जमीन पर खातेदारी का हक मिल गया हैं; किन्तु अधिकाँश गाँववासियों को अभी तक खातेदारी का हक़ नहीं मिला है।	गाँव की जो जमीन पहाड़ों की ढलान वाली, पथरीली एवं ऊबड़-खाबड़ है, उसका समतलीकरण करके उसे कृषि योग्य बनाना। वर्षा जल संरक्षण करके अथवा सिंचाई के साधन लगाकर फसल उत्पादन बढ़ाना। कब्जे की जमीन पर खातेदारी के हक़ के लिए प्रयास करना।

पशुपालन हेतु चारे व चारागाह की कमी - गाँव के लोग देसी नस्ल के गाय, बैल, भैंस और बकरी पालते हैं। गाँव की खेती की जमीन कम होने और चारागाह पर लोगों का कब्जा होने से पशुओं का चारा मार्च तक खत्म हो जाता है। गाँव के लोग चारा जंगल से लाते हैं। कुछ चारा उन की कब्जे की जमीन पर भी होता है। मार्च के बाद गाँव के लगभग सभी लोगों के पास पशुओं का चारा समाप्त हो जाता है। उसके बाद जुलाई तक बाज़ार से खरीद कर खिलाना पड़ता है। गुजरात के कुछ लोग चारे की गाड़ियाँ भरकर गाँव में बेचने आते हैं। जिसे तीन-चार लोग मिलकर खरीद लेते हैं। चारे की समस्या के चलते लोग पशुओं को कम ही लोग पालते हैं। चारे की कमी के कारण उनके जानवर कमजोर हैं। देशी नस्ल का होने और चारे की कमी के कारण गाय और भैंस भी बहुत कम दूध देती है; जिससे परिवार की ही जरूरत पूरी होती है। गाँव के जंगल पर वन विभाग का कब्जा होने से जंगल में जानवरों को चराने के लिए ले जाने पर वनकर्मी आपत्ति उठाते हैं।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक / व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में सड़क का निर्माण पंचायत और लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। निर्माण में व्याप्त लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण सड़क मानक के अनुसार नहीं बनती है। इसलिए वह जल्दी टूट जाती है। सड़क टूट जाने के बाद उसकी मरम्मत कराने में भी लापरवाही की जाती है। कभी-कभी लंबे समय तक मरम्मत नहीं होने से रास्ता बिल्कुल उखड़ जाता है। सड़क निर्माण में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के प्रति गाँववासियों की उदासीनता भी गुणवत्तापूर्ण सड़क नहीं बनने का एक कारण है। कभी-कभी रास्ता निर्माण होते समय किसी गाँववासी की बीच में जमीन आ	लोक निर्माण विभाग और पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त करना। रास्ते की समय-समय पर मरम्मत करना। रास्ता निर्माण करने के समय गाँव में यदि किसी की भूमि रास्ते में आती है, तो उस विवाद को निपटाना।	**तात्कालिक**

			जाती है और वह जमीन देने में आनाकानी करता है।		
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने के कारण बच्चे प्राथमिक शिक्षा ठीक से नहीं ले प् रहे हैं। विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं हैं। विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का नहीं होना जैसे कमरे, पीने का पानी, शौचालय इत्यादि। जिससे बच्चे बीच में ही शिक्षा छोड़कर बालश्रम में लग जाते हैं।	शिक्षा की समस्या के समाधान के लिए पंचायत के सभी गाँव और ब्लॉक के अन्य गाँवों के साथ मिलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना और संख्या बल के द्वारा दबाव बनाकर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना।	**तात्कालिक**
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव में जमीन का ऊबड़-खाबड़ होना। साथ ही पहाड़ी की ढलान वाली और पथरीली होना। जिसके कारण उर्वरा शक्ति कम होना। सिंचाई के साधनों की कमी से भी कृषि उत्पादन में समस्या होती है। उन्नत बीज और कंपोस्ट खाद के अभाव में उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाता है।	केटेगरी 4 के कार्य गाँव सभा ने अपने प्रस्ताव में लिखे हैं। तदनुसार उनको पंचायत के एक्शन प्लान में डलवा कर खेत समतलीकरण आदि करवाना। इस प्रकार कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करना। उन्नत बीज और कंपोस्ट खाद की व्यवस्था करना।	**तात्कालिक**
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गाँव के अधिकांश गरीब लोगों को आवास की आवश्यकता है। वे पंचायत में आवास निर्माण के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन आवंटन उन्हीं लोगों को पहले किया जाता है, जिन्होंने सरपंच को वोट किया है। इसी प्रकार से पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन	आवास आवंटन की जिन्हें अधिक आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता से किया जावे। अन्य सरकारी योजनाएं भी इमानदारी से वंचित लोगों को प्राथमिकता देकर लागू की जाए। जिनका भुगतान रुका हुआ है, उनका समय पर भुगतान किया जाए।	**तात्कालिक**

			लोगों को पहले दिया जाता है, जिनके सरपंच से अच्छे संबंध हैं। कुछ लोगों का आवास भुगतान एवं पेंशन आदि भुगतान भी रुके हुए।		
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	गाँव के कुछ लोगों को अपनी काबिज भूमि पर खातेदारी का हक मिला है, लेकिन अधिकांश लोग इससे वंचित हैं। लोग काबिज भूमि पर सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जमीन की खातेदारी का हक नहीं मिला है। यह पूरे डूंगरपुर जिले की समस्या है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण काबिज भूमि पर खातेदारी का हक़ देना राजस्व विभाग ने लगभग बंद कर दिया है। जिससे आदिवासियों में एक प्रकार का भय उत्पन्न हो गया है कि कभी भी उनकी भूमि छिन सकती है।	गाँव के लोगों ने काबिज भूमि पर पट्टे का दावा तो कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति उदासीनता है। ठीक ढंग से पैरवी न होने के कारण भी पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही शासन की भी पट्टे देने की मंशा नहीं है। गाँव सभा की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि लोग जिस भूमि पर काबिज हैं, उसका प्रकरण तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा किया जाएगा और उसकी पैरवी की जाएगी। जिन के पट्टे मिल गए हैं, उनके नियमन का दावा भी करने की जिम्मेदारी गाँव सभा ने कुछ लोगों को दी है।	**दीर्घकालिक**
6	**जल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में सिंचाई का संकट है। तीन तालाबों में से दो तालाब गर्मी आने से पहले सूख जाते हैं। नालों पर पर्याप्त एनिकट न होने से नालों का पानी बहकर निकल जाता है। तालाब भी गर्मी आने तक सूख जाते हैं। बरसात के पानी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से भू-जलस्तर नीचे चला जाता है। अधिकांश ट्यूबवेल का पानी	जल संकट के समाधान के लिए तालाबों की मरम्मत, नालों पर एनीकट का निर्माण और वर्षा जल संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं। कम गहरे कुओं को गहराई बढ़ाकर जल संकट का समाधान किया जा सकता है।	**तात्कालिक**

			बहुत गहराई पर है। हैंडपंप भी कुछ खराब पड़े हुए हैं। नालों पर एनिकट नहीं होने से बरसात बाद वह सूख जाते हैं।		
7	**जंगल का सामुदायिक दावा अधिकार पत्र नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	गाँव के जंगल पर वन विभाग का अधिकार है। वन विभाग की लापरवाही से धीरे-धीरे जंगल बर्बाद हो गया है। गाँव सभा ने सामुदायिक वन अधिकार का दावा किया है, लेकिन उन्हें अधिकार पत्र नहीं मिला है, जिससे वह लघु वनोपज से वंचित हैं।	वन अधिकार दावे के प्रकरण की पैरवी करना और सरकार पर दबाव बनाकर जंगल को गाँव सभा के अधीन करके लघु वन उपज प्राप्त करके गाँव सभा की आय बढ़ाई जा सकती है।	**दीर्घकालिक**

संसाधन आकलन व S.W.O.T विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	**W- Weakness कमजोरी**	**O- Opportunities अवसर**	**T- Threats चुनौतियां**
आवागमन			
सड़क कच्चे रास्ते मजदूर काम	जमीन का अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ होना। ऐसी जमीन पर सिर्फ पगडण्डी का होना। सड़क निर्माण के लिए लोगों द्वारा जमीन देने में आनाकानी करना। पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से सड़क निर्माण न होना। मनरेगा में मानदेय के अनुसार मजदूरी न मिलना।	मनरेगा के तहत कच्ची सड़क का निर्माण किया जा सकता है। रास्तों के निर्माण से आवागमन की सुविधा में सुधार होगा। आवागमन की सुविधाओं का सुधार होने से बच्चे समय से विद्यालय और मरीज समय से अस्पताल पहुँच सकते हैं। मनरेगा के तहत सड़क निर्माण होने से रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकते हैं।	पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना। गाँव सभा को मजबूत करना। पेसा कानून के अधिकारों को लागू करवाना। सड़क निर्माण के दौरान जमीन के आपसी विवाद को निपटाना। मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना और मनरेगा के प्रति लोगों को जागरूक करना।
जल -			
नाले	जल स्रोतों के जलस्तर	तालाब व कुएं का	गाँव के लोगों को जल के

तालाब हैंडपंप बोरवेल कुएं	का लगातार नीचे जाना। बारिश के पानी को एकत्रित करने की कोई योजना न होना। जल प्रबंधन की किसी योजना का न होना। ख़राब पड़े जल स्रोतों को ठीक करने और उनकी मरम्मत के प्रति पंचायत और लोगों का उदासीन होना।	गहरीकरण किया जा सकता है। नाले पर एनिकट व रिंगवाल बनाई जा सकती है। मनरेगा के तहत कच्चे चेक डैम का निर्माण किया जा सकता है। ख़राब पड़े जल स्रोतों को ठीक किया जा सकता है। जल स्रोतों में पानी रीचार्ज किया जा सकता है। बोरवेल के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। बारिश के पानी को संग्रहित करने की योजना बनाई जा सकती है।	महत्त्व व जल प्रबंधन के प्रति जागरूक करना। गाँव सभा द्वारा जल स्रोतों के प्रबंधन के लिए पंचायत पर दबाव डालना। गाँव सभा को मजबूत करना। पंचायत स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को ख़त्म करना।
आजीविका संवर्धन			
मजदूरी मनरेगा खेती कुटीर उद्योग पशुपालन लघु वन उपज	खेती की जमीन का ऊबड़-खाबड़ व पथरीली होना। मनरेगा के प्रति लोगों का उदासीन होना। सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध न होना। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा न उपलब्ध होना। रोजगार के अन्य साधनों के लिए किसी कार्य योजना का न होना। जंगल से प्राप्त होने वाली लघु वन उपज की	भूमि समतलीकरण कर उसे उपजाऊ बनाकर सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। मनरेगा में काम का सामूहिक आवेदन किया जा सकता है। जल प्रबंधन के माध्यम से सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था की जा सकती है। चारागाह की जमीन का विकास कर चारा उत्पादन बढ़ाया जा	मनरेगा में काम का आवेदन कर रसीद लेना तथा पूरे काम के बदले पूरा दाम लेना। मनरेगा में पंचायत द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना। गाँव सभा में रोजगार की समस्या के निवारण पर चर्चा कर निर्णय लेना। लोगों को जागरूक और संगठित करना।

	मात्रा धीरे-धीरे कम होना।	सकता है। छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी या मुर्गी और मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। जंगल से प्राप्त होने वाली लघु वन उपज के प्रबंधन की योजना बनाना। तालाब, एनिकट में मछलीपालन किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट होने से रोजगार के अन्य साधनों के तहत कुटीर उद्योग की योजना बनाई जा सकती है।	
भूमि			
जंगल बिलानाम	जंगल पर सामूहिक दावे का अधिकार पत्र न मिलना। बिलानाम जमीन पर काबिज लोगों को अधिकार पत्र न मिलना। जंगल के संरक्षण और प्रबंधन के प्रति लोगों का उदासीन होना।	सामूहिक वन दावे का अधिकार पत्र पाने के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है। बिलानाम जमीन पर दावे का अधिकार पत्र आवेदन कर लिया जा सकता है। जंगल के प्रबंधन और वृक्षारोपण की योजना बनाई जा सकती है।	लोगों को पेसा कानून के अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सामूहिक वन दावे और बिलानाम जमीन के अधिकार पत्र के लिए लोगों को संगठित करना। वन अधिकार अधिनियम के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

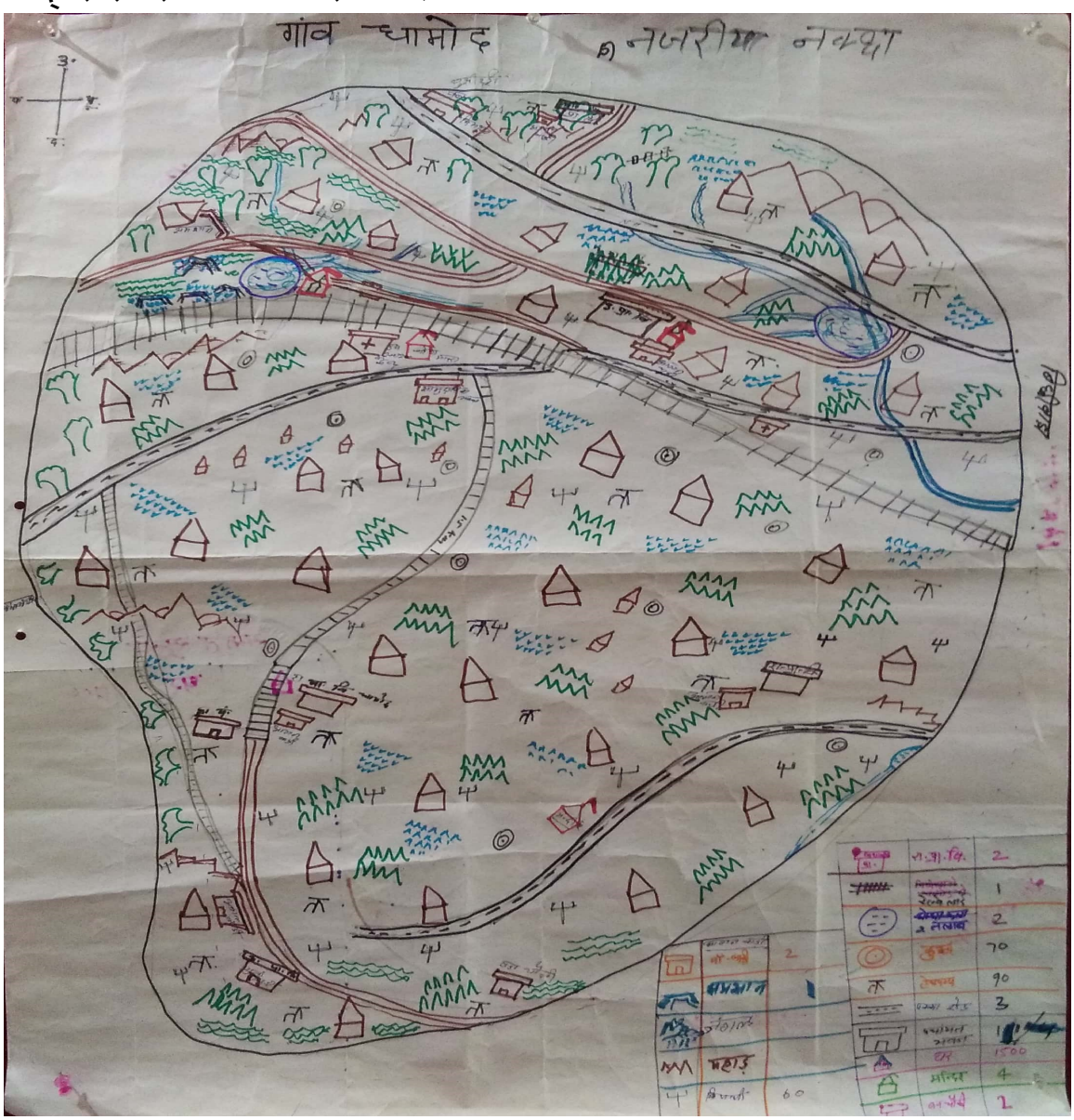

नजरिया नक्शा धामोद

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन	24
	विधवा पेंशन	7
	विकलांग पेंशन	10
	पालनहार योजना (0 से 5 वर्ष)	2
	पालनहार योजना (6 से 18 वर्ष)	2
	एकलनारी पेंशन	1
2	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के सम्बन्ध में	47
3	शौचालय के संबंध में	25
	शौचालय बकाया भुगतान	8
4	विद्यालय के संबंध में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घोंघा फला और राजकीय प्राथमिक विद्यालय धामोद कमरों की छत मरम्मत छात्र छात्राओं के अलग अलग शौचालय उनमें पानी की व्यवस्था दोनों स्कूलों में आर.ओ. प्लांट	2
5	कैटेगरी 4 के कार्य खेत समतलीकरण खेत तलावडी कुआ निर्माण/गहरीकरण, मरम्मत पशु बाड़ा निर्माण	52
6	उप स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में उप स्वास्थ्य केंद्र दामोद में छत मरम्मत के साथ-साथ पूरे भवन की मरम्मत पीने के पानी की व्यवस्था करना	1
7	सामुदायिक भवन के संबंध में जोगा माता मंदिर के पास स्थित सामुदायिक भवन की पूर्ण रूप से मरम्मत करना धामोद शिलालेख घोंघा फला के पास नया सामुदायिक भवन निर्माण रोड़ा फला में नया सामुदायिक भवन निर्माण	3
8	आंगनबाड़ी के संबंध में 1. रोत फला में नई आंगनवाड़ी भवन का निर्माण -	2

	राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोड़ा फला के पास 2. रोड़ा फला में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण रमेश/हाजा भगोरा के घर के पास	
9	राशन की दुकान के संबंध में धामोद रेलवे फाटक के पास रमेश कान्हा भगोरा अपनी निजी भूमि राशन की दुकान भवन निर्माण के लिए दे रहे हैं जिस पर भवन निर्माण करवाना	1
10	रास्ता निर्माण के संबंध में डामर सड़क 3300 मीटर सी.सी. सड़क 9000 मीटर	9
11	तालाब के संबंध में 1. कर्मा वाला तालाब का गहरीकरण और रिंगवाल निर्माण 2. श्मशान घाट के पास स्थित तालाब का गहरीकरण सीढ़ी निर्माण और रिंगवाल निर्माण	2
12	नया हैण्ड पम्प के सम्बन्ध में	10
	हैण्ड पम्प मरम्मत के सम्बन्ध में	4
13	चेक डैम निर्माण/मरम्मत के संबंध में	19
14	एनिकट निर्माण के संबंध में	3
15	श्रमिक कार्ड के संबंध में जिन लोगों के 90 दिन नरेगा में पूरे हो गए हैं उनके गाँव सभा द्वारा श्रमिक कार्ड बनवाना	1
16	श्मशान घाट के संबंध में टीन शेड निर्माण चबूतरा निर्माण लकड़ियाँ रखने के लिए कमरा निर्माण	1
17	काबिज भूमि पर गाँव सभा द्वारा सभी के व्यक्तिगत दावा करवाने के संबंध में	1
18	जंगल पर सामुदायिक दावा करने के संबंध में	1
19	गाँव के आपसी विवाद गाँव सभा में शांति समिति द्वारा निपटाया जाने के संबंध में	1
20	सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम के संबंध में डायन प्रथा मोताणा प्रथा बाल विवाह बाल श्रम	1
21	मनरेगा में पूरे 90 दिन काम मिले पूरी मजदूरी मिले और समय पर भुगतान मिले तथा आवेदन की रसीद लेने के संबंध में	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

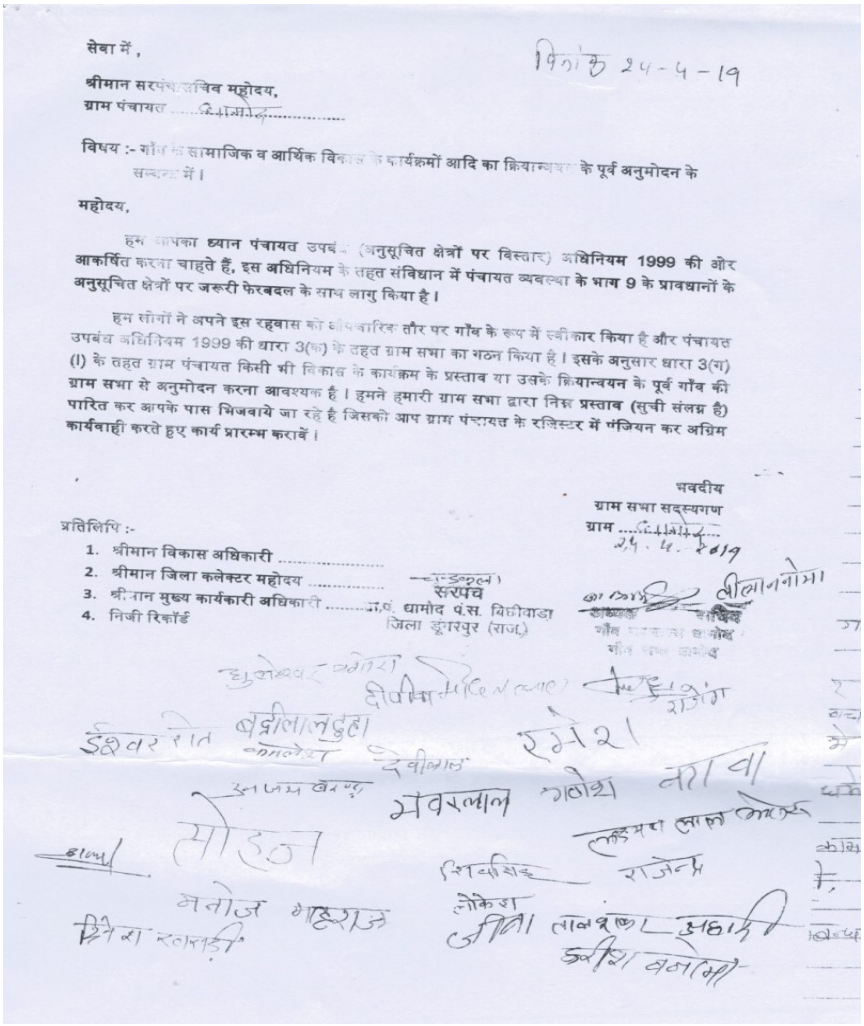

सेवा में ,

दिनांक 24-4-19

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत .....धामोद.....

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग) (I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में संजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम .....धामोद.....
24.4.2019

प्रतिलिपि :-
1. श्रीमान विकास अधिकारी .....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय .....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी .....
4. निजी रिकॉर्ड

सरपंच
ग्रा.पं. धामोद पं.स. बिछीवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रस्ताव कवरिंग

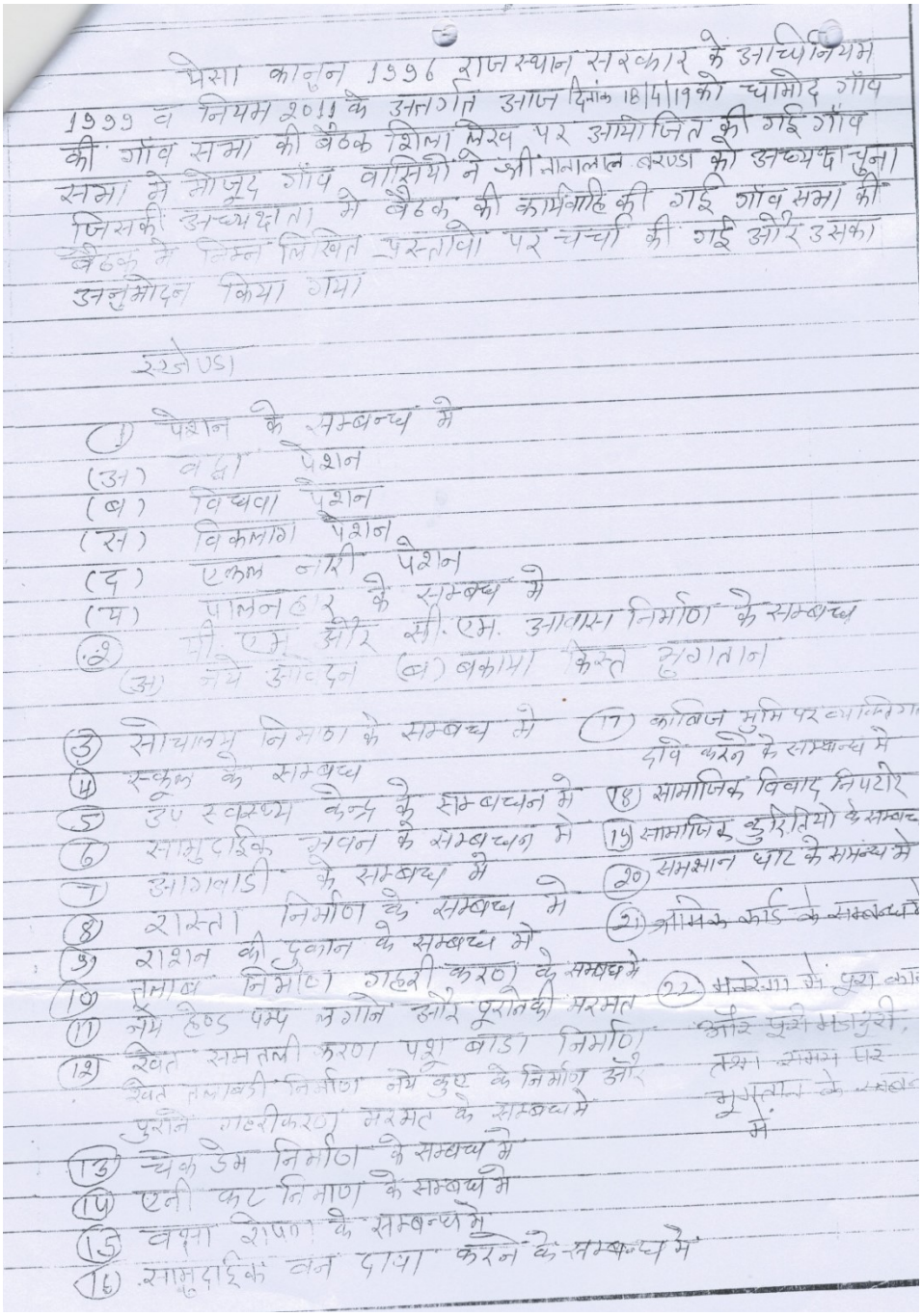

पैसा कानुन 1996 राजस्थान सरकार के अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अन्तर्गत आज दिनांक 18/5/19 को चामोद गॉव की गॉव सभा की बैठक शिला लेख पर आयोजित की गई गॉव सभा मे मोजूद गॉव वासियो ने श्री लालाल बरण्डा को अध्यक्ष चुना जिसकी अध्यक्षता मे बैठक की कार्यवाहि की गई गॉव सभा की बैठक मे निम्न लिखित प्रस्तावो पर चर्चा की गई और उसका अनुमोदन किया गया

स्वजेण्डा

(1) पेशन के सम्बन्ध मे
(अ) वृद्धा पेशन
(ब) विधवा पेशन
(स) विकलांग पेशन
(द) एकल नारी पेशन
(य) पालनहार के सम्बन्ध मे
(2) पी.एम. और सी.एम. आवास निर्माण के सम्बन्ध
(अ) नये आवेदन (ब) बकाया किस्त भुगतान
(3) सोचालय निर्माण के सम्बन्ध मे
(4) स्कूल के सम्बन्ध
(5) उप स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्धन मे
(6) सामुदाइक भवन के सम्बन्धन मे
(7) आगनवाडी के सम्बन्ध मे
(8) रास्ता निर्माण के सम्बन्ध मे
(9) राशन की दुकान के सम्बन्ध मे
(10) तलाब निर्माण गहरी करण के सम्बध मे
(11) नये हेण्ड पम्प लगाने और पुराने की मरमत
(12) खेत समतली करण पशु बाडा निर्माण खेत तलाबडी निर्माण नये कुए के निर्माण और पुराने गहरीकरण मरमत के सम्बन्ध मे
(13) चेक डेम निर्माण के सम्बन्ध मे
(14) एनी कट निर्माण के सम्बन्ध मे
(15) वृक्षा रोपण के सम्बन्ध मे
(16) सामुदाइक वन दावा करने के सम्बन्ध मे
(17) काबिज भुमि पर व्यक्तिगत दावे करने के सम्बन्ध मे
(18) सामाजिक विवाद निपटारे
(19) सामाजिक कुरितियो के सम्बन्ध
(20) समशान घाट के सम्बन्ध मे
(21) ~~श्रमिक कार्ड के सम्बन्ध मे~~
(22) मनरेगा मे पुरा काम और पुरी मजदुरी, तथा समय पर भुगतान के सम्बन्ध मे

प्रस्ताव प्रथम पेज

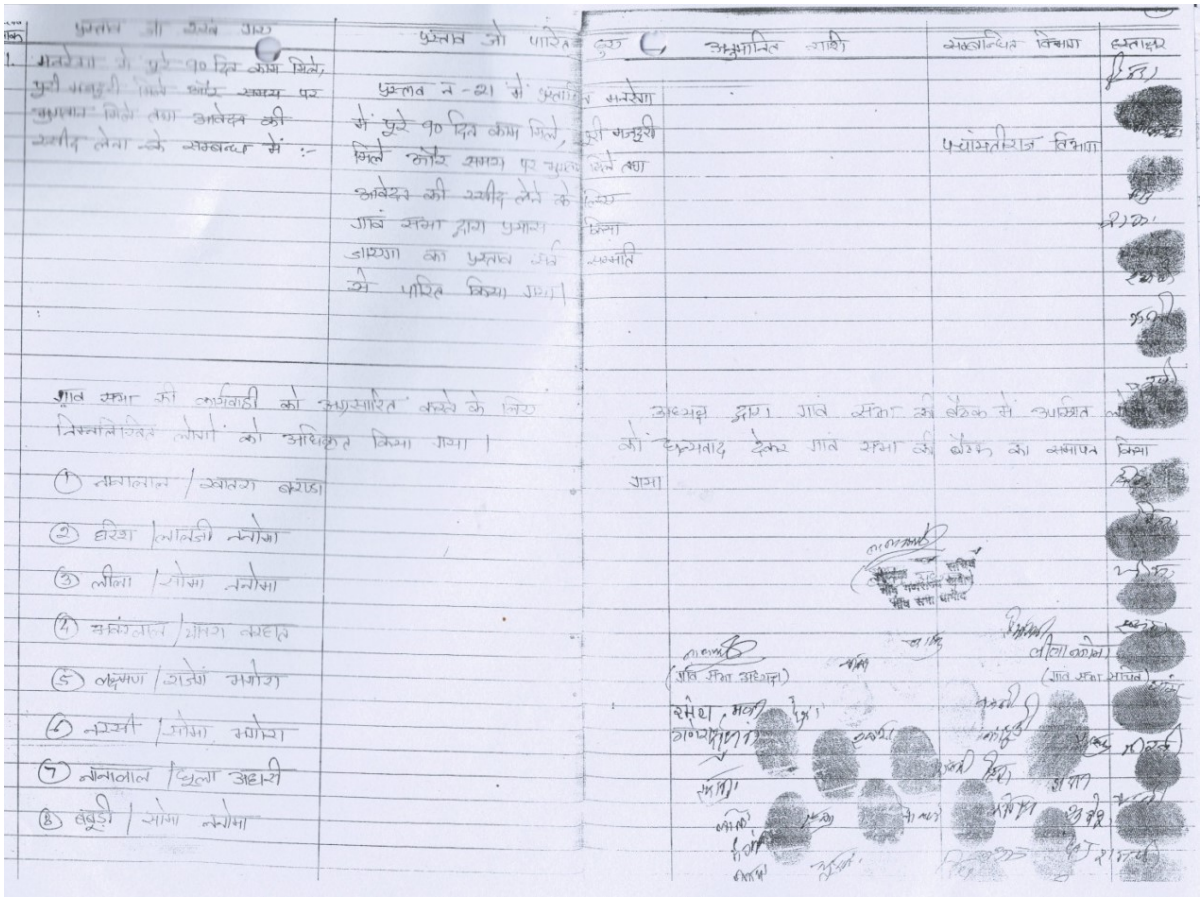

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम(V.P.F.T.)

क्र.	नाम	फोन न.
1	रमेश अहारी	
2	गंगा बाई	8290899830
3	देवी लाल	9511825193
4	मनजी अहारी	9929160489